



दिनांक: 05.09.2026

-प्रेस नोट-

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड लूट के मुकदमें में 25,000/- रुपये का ईनामी हिस्ट्रीशीटर वांछित लुटेरा अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से घटना में लूटे गए 2110/- रुपये नकद, 01 मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 05.09.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा ग्राम होजखेडी चौराहे पर चैकिंग की जा रही थी चैकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 02 संदिग्ध व्यक्ति ग्राम भाऊपुर होते हुए पीछे वाले रास्ते से ग्राम नगराजपुर आते हुए दिखाई दिए संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्तियों ने कहा कि सामने पुलिस है गोली मारो नहीं तो पकड़े जाएंगे इस पर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी और फिर अपनी मोटरसाइकिल ग्राम ईगरी की तरफ मोड़कर भागने लगे, पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया आगे चलकर दोनो व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल को सड़क के बायीं ओर कच्चे रास्ते पर गिरा दिया और भागने लगे थे पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। जबकि अन्य दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। घायल/गिरफ्तार बदमाश की पहचान **अब्दुल रहीम उर्फ नन्हा पुत्र नूर हसन निवासी मौहल्ला अफगानान कला थाना तीतरों जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस व लूट के 2110/- रुपये नकद, 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बरामद हुई। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत मु0अ0स0 404/26 धारा 309 (4) बीएनएस एवं मु0अ0स0 409/26 धारा 109(1), 317(5), 318(4), 336(3) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के मुकदमें में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अभ्यस्त अपराधी हैं, जिसके विरुद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों में लूट, चोरी, अवैध शस्त्र एवं अन्य संगीन धाराओं में डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 412/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 412/26 धारा 309 (4) बीएनएस में धारा (317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना का विवरण:- अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं, राहुल व अंकित हम तीनों मिलकर लूट की घटना करते हैं, घटना के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि दिनांक 31.08.2026 को करीब 09.30 बजे ग्राम भाऊपुर के जंगल में नये बाईपास पर स्कूटी सवार दो व्यक्तियों से 14000/- रुपये एवं 02 मोबाइल फोन स्कूटी के आगे डंडा लगाकर छीन लिये थे। उन रुपयों को आपस में आधा आधा बाट लिया था, लूटे हुये सामान में से कुछ रुपये तथा एक मोबाइल infinix मेरे हिस्से में आया था जिसमें से कुछ रुपये मैंने खाने पीने में खर्च कर दिये तथा जो 2110 रुपये व infinix कम्पनी का मोबाइल आपको मुझसे मिले हैं। ये रुपये व मोबाइल उसी लूट के हैं। दिनांक 03.09.2026 को मैं अपने साथी राहुल व अंकित के साथ मोटरसाइकिल से पिलखनी से ग्राम भाऊपुर होते हुए ग्राम नगराजपुर जा रहे थे, रास्ते में होजखेडी चौराहे पर पुलिस चैकिंग कर रही थी तभी पुलिस हमारे सामने आ गयी तो पुलिस के पकड़ जान के डर से मैंने भी पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया था उसके बाद पुलिस ने राहुल एवं अंकित को तो पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अब्दुल रहीम उर्फ नन्हा पुत्र नूर हसन निवासी मौहल्ला अफगानान थाना तीतरों जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर

- 02 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 2110/-रुपये नकद (लूटे गये)
- 01 मोबाइल फोन
- 01 बिना नम्बर प्लेट लगी स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल (घटना मे प्रयुक्त)

अभियुक्त अब्दुल रहीम उर्फ नन्हा का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 95/2015 धारा 394 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 52/2019 धारा 2/3 गिरोहबन्द अधि० थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 20/2015 धारा 394 भादवि थाना रामपुर मनि० जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 32/2004 धारा 392/411 भादवि थाना रामपुर मनि० जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 59/2015 धारा 147/148/149/307 थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 60/2015 धारा 147/148/149/307/411/414/420/467/468/471 थाना तीतरों, सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 114/2015 धारा 147/148/149/307 थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 153/2015 धारा 411/414 थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 154/2015 धारा 25/27 आयुद्ध अधि० थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 56/2025 धारा 3/25 आयुद्ध अधि० थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 56/2025 धारा 3/25 आयुद्ध अधि० थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 56/2025 धारा 3/25 आयुद्ध अधि० थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 61/2026 धारा 309 (4)/317(2) बीएनएस थाना गढीपुख्ता जनपद शामली
14. मु0अ0सं0 85/2026 धारा 109 (1)/3 (5) बीएनएस व 3/25/27 शस्त्र अधि० थाना गढीपुख्ता, शामली
15. मु0अ0सं0 317/2024 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली
16. मु0अ0सं0 409/2026 धारा 109(1) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
17. मु0अ0सं0 412/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० श्री संतोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री अजयपाल सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० श्री भूपेश शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. उ०नि० श्री पंकज शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. उ०नि० श्री सुभाष चन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. है०का० 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
7. है०का० 1081 रुपेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
8. का० 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
9. है०का० 388 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
10. का० 1394 पिन्टू थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
11. का० 2097 अशोक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
12. का० 1806 योगेश शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
13. का० 1215 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम वाँछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान **01 शातिर अभियुक्त शोयब पुत्र इसरार निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को छुटमलपुर कट से सर्विस लेन कमेशपुर की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 362/26 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शोयब पुत्र इसरार निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 301/26 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस व 3(1)द,ध/3(2)5क एससी/एसटी एक्ट थाना फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. का0 244 धर्मेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 05.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा चोरी मोटरसाइकिल व अवैध चाकू सहित 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहनचोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/वाहन चोर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गागलहेडी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान **01 शातिर अभियुक्त गोपी पुत्र रघुराज निवासी ग्राम माजरी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** को हरियाबांश फलाई ओवर के पास भगवानपुर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर **मु0अ0सं0 241/26 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स** के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त गोपी उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने यह मोटरसाइकिल करीब चार-पांच महीने पहले हरिद्वार उत्तराखण्ड से चोरी की थी और बिना नम्बर प्लेट के चला रहा था। आज मैं इस मो0सा0 को बेचने के इरादे से निकला था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गोपी पुत्र रघुराज निवासी ग्राम माजरी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

01 चोरी स्पलेण्डर मोटरसाइकिल रंग काला बिना नम्बर

01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. का0 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. का0 398 नरदेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 05.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गागलहेड़ी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त आरिश पुत्र शफीक निवासी ग्राम गंदेवड़ा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर को मुख्य सड़क हरौड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0स0 242/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

आरिश पुत्र शफीक निवासी ग्राम गंदेवड़ा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 981 निशान्त चौधरी थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 716 राकेश राणा थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
4. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक - 05.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 04.09.2026 को वादी अंकुश पुत्र जसबीर निवासी ग्राम समसपुर कलां थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा डा0 हिमांशु शर्मा अस्पताल के बाहर से वादी की मोटर साइकिल सीटी-100 रजि0नं0- UP 11BB 4202 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 216/26 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व वाहन बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए। आदेश के अनपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी श्री प्रदीप कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **01 शातिर अभियुक्त शारिक पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड जिला सहारनपुर** को मात्र 24 घण्टे में बन्द फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शारिक पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 चोरी की मोटरसाइकिल सीटी-100 UP 11BB 4202

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री शिवराज तोमर थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0का0 976 रविन्द्र कुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. रि0कां0 1056 अंकित कुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर।



दिनांक: 05.09.2026

मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत — थाना सरसावा मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा सड़क पर आने-जाने वाली बालिकाओं/महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाला 01 मनचला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग व जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.09.2026 को थाना सरसावा मिशन शक्ति/एण्टी रोमियो टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सड़क पर आने-जाने वाली महिलाओं व बालिकाओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाला **01 मनचला अभियुक्त रितिक उर्फ धीरज पुत्र राजेन्द्र निवासी मौहल्ला पूर्वी अफगानान व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को प्रिया ढाबा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 290/2026 धारा 296 बीएनएस के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार मनचले अभियुक्त का विवरण:-

रितिक उर्फ धीरज पुत्र राजेन्द्र निवासी मौहल्ला पूर्वी अफगानान व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 नेहा उपाध्याय थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
3. म0का0 1183 प्रियंका थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
4. रि0का0 2575 विशाल कुमार थाना सरसावा जिला सहारनपुर।



दिनांक: 05.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा फायरिंग कर हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया, कब्जे/निशानदेही पर 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 03.09.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण अभिजीत उर्फ चिंगारी पुत्र प्रवीण निवासी नया गांव थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर व एक अन्य युवक द्वारा वादी का रास्ता रोककर वादी को जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर करने जिसमें गोली वादी के पैर को छूकर निकल जाने सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 442/26 धारा 109(1)/126(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी थी।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए घटना में शामिल **वांछित अभियुक्त अभिजीत उर्फ चिंगारी पुत्र प्रवीण निवासी नया गांव थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को ग्राम नया गांव रामपुर मनिहारन से गिरफ्तार कर **बाल अपचारी को संरक्षण** में लिया गया। कब्जे/निशानदेही पर 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमें उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- अभिजीत उर्फ चिंगारी पुत्र प्रवीण निवासी नया गांव थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
- 01 बाल अपचारी (संरक्षण में)

बरामदगी का विवरण –

- 01 अवैध देशी तमंचा
- 01 खोखा कारतूस
- 01 स्पलेण्डर मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त) UP11AE4276

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर (सादे वस्त्रों में)
3. है0का0 1154 इवराज थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर (सादे वस्त्रों में)
4. है0का0 714 नितिन तोमर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
5. का0 240 सोनू कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
6. का0 1340 पुष्पेन्द्र थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 05.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत
01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री राजीव कुमार कौशिक के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **01 अभियुक्त अमित कुमार उर्फ सोनू पुत्र स्व० ईश्वरलाल निवासी मौहल्ला नबाबगंज कम्पनी गार्डन के पास थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को रोड़ पर खड़े होकर सरेराह लड़ाई झगडा आमदा फसाद तथा गाली गलौच करते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत मौहल्ला नबाबगंज कम्पनी गार्डन के पास थाना कोतवाली नगर से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमित कुमार उर्फ सोनू पुत्र स्व० ईश्वरलाल निवासी मौहल्ला नबाबगंज कम्पनी गार्डन के पास थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री अरुण कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. हो०गा० 1776 विश्वास कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 05.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नानौता साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गई 15000/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीड़ित के खाते में वापस करायी गई

घटना का विवरण:- दिनांक 22/09/2025 को शिकायतकर्ता श्री सतीश कुमार निवासी ग्राम काशीपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर अपने साथ 15000/- रुपये की साइबर फ्राड के सम्बन्ध में थाना नानौता पर सूचना दी थी जिस पर तत्काल थाना नानौता साइबर सैल द्वारा आवेदक की शिकायत संख्या 23109250146508 एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज कर प्रभावी कार्यवाही करते हुए आवेदक की 15000/- रुपये की शतप्रतिशत धनराशि को होल्ड करा दिया गया था।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीड़ितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर शिकायत संख्या 23109250146508 में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीड़ित सतीश कुमार निवासी ग्राम काशीपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर उपरोक्त की साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गई कुल 15000/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी। धनराशि वापस पाकर पीड़ित ने थाना नानौता पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार प्रकट किया।

पीड़ित का नाम व पता:-

सतीश कुमार निवासी ग्राम काशीपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

15000/- रुपये

धनराशि वापस कराने वाली साइबर टीम:-

1. थाना प्रभारी श्री विकास चारण थाना नानौता सहारनपुर
2. प्रभारी साइबर सैल म0उ0नि0 राधा चौहान थाना नानौता स0पुर
3. का0 2196 अजीत सिंह थाना नानौता स0पुर
4. का0 1817 गौरव कुमार थाना नानौता स0पुर
5. रि0 का0 1712 अनुज कुमार थाना नानौता स0पुर
6. रि0 का0 1757 प्रशांत कुमार थाना नानौता स0पुर
7. रि0 का0 1777 अंशुल सिंह थाना नानौता स0पुर
8. रि0 का0 1744 हरदेश सिंह थाना नानौता स0पुर